संख्या-08 /2021/ 290/अडतीस-7-2021-08नरेगा/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
2.समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक ०७ मार्च, 2021

विषय- मनरेगा योजनान्तर्गत महिला मेट को तैनात किये जाने तथा स्वंय सहायता समूहों(UPSRLM) द्वारा कन्वर्जेन्स के सम्बन्ध में।

महोदय,

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत प्रदेश में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना आवश्यक है। महिलाओं की भूमिका एवं सहभागिता को प्रमुखता से बढ़ावा देने हेतु महिला मेट का चयन वरीयता पर किया जाना चाहिए। इस क्रम में कृपया निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें-

1. मेट का चुनावः-

मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशिका-2013 के प्रस्तर-4.1.2 में मेट के चयन के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया है:-

प्रत्येक कार्यस्थल के लिए मेट या कार्यस्थल पर्यवेक्षक की जरुरत होती है। प्रत्येक 50 श्रमिकों के लिए कम से कम एक मेट होना चाहिए।

2. मेट पद हेतु योग्यताः-

2.1 ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका एवं उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु यह आवश्यक है कि मनरेगा एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मध्य अभिसरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उक्त के दृष्टिगत मनरेगा योजनान्तर्गत महिला मेट के चयन हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) के अंतर्गत गठित स्थानीय स्वयं सहायता समूह (SHG) के महिला सदस्य अभ्यर्थी पात्र होंगी, स्वयं सहायता समूह (SHG) की अनुपलब्धता की दशा में किसी सुयोग्य/अर्ह अभ्यर्थी महिला मेट हेतु पात्र होंगी।

2.2 परियोजनान्तर्गत चयनित महिला मेट को उसी ग्राम -टोले का निवासी होना चाहिए, जिसमे कार्य कराया जाना है। (सरकार द्वारा पहचान पत्र, जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन-कार्ड, राशन कार्ड आदि निवासी पहचान के लिए मान्य होगा)।

2.3 महिला मेट के चयन व तैनाती का दायित्व ग्राम पंचायतों का होगा।

3. चयन की प्रक्रियाः-

3.1 मेट का चयन उपरोक्त योग्यता अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। मेट चयन हेतु क्लस्टर फैसिटेशन प्रोजेक्ट (CFP) के अन्तर्गत चयनित जनपदों के विकासखण्डों में जिनमें Civil Society Organization(CSOs) काम कर रही हैं, उनके द्वारा महिला मेट के कार्य हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन कर प्रस्ताव ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

4. प्रशिक्षणः-

4.1 सभी चयनित मेटों का प्रशिक्षण विभागीय पत्रांक में दिए गए तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रारूप के अनुसार तत्काल सुनिश्चित किया जाएगा एवं प्रशिक्षण विकास खण्ड स्तर पर किया जायगा।

4.2 प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का वहन मनरेगा योजनान्तर्गत सृजित प्रशासनिक मद से वहन किया जाएगा।

4.3 ऐसे विकास खंड जिनमें CFPs कार्यरत हैं, वहां प्रशिक्षण में CFPs के सदस्यों की प्रशिक्षक के रूप में भागीदारी अनिवार्य है. अन्य विकास खंडो में प्रशिक्षण के लिए विकास खंड के अन्य सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं व जीपीडीपी योजना के State Resource Team के योग्य सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा।

4.4 मनरेगा के तकनीकी परीक्षक एवं राज्य गुणवत्ता मॉनिटर भी प्रशिक्षण मे भागीदारी कर सकते हैं।

4.5 उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक नियोजन, संचालन तथा संपादन हेतु सम्बंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. <u>मेटों का पंजीकरणः-</u>

5.1 ग्राम सभा द्वारा सभी चयनित मेटों की सूची ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जाएगी।

5.2 मेट चयन के एक सप्ताह के अन्दर सभी चयनित मेटों का MGNREGs में अर्द्ध-कुशल मजदूर की श्रेणी में पंजीकरण किया जाएगा, जिसकी Registration ID निर्गत होगी। पंजीकरण सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) की होगी।

6. <u>मेट की जिम्मेदारियां-</u>

योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण व मापन में मेट के दायित्व का विवरण संलग्नक-1 में दिया गया है।

7. <u>मेटों का भुगतानः-</u>

7.1 मेट का भुगतान लोक निर्माण विभाग के SOR(Schedule of Rates) के अनुसार निर्धारित दरों से किया जायगा। यह भुगतान योजनान्तर्गत सामग्री मद से वहन किया जाएगा।

7.2 मेट का भुगतान योजना के तकनीकी प्राक्कलन में दिए गए मानक अनुसार किया जाएगा। परियोजना के प्राक्कलन में महिला मेट को अर्द्ध-कुशल श्रमिक के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

7.3 मेट के भुगतान हेतु प्रत्येक कार्य-सप्ताह के लिए अर्द्ध-कुशल श्रमिकों के मस्टर रोल निर्गत किये जायेंगे। मेट का भुगतान योजनान्तर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुसार प्रति कार्य-सप्ताह समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाएगा।

2-इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया महिला मेट की तैनाती तथा उनके विधिवत कार्य संचालन की व्यवस्था करने के साथ ही मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन एवं कार्यवहन में अपेक्षित गुणात्मक सुधार कर उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 08/2021/ 290(1)/अड़तीस-7-2021 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 सरकार।

(3) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

(5) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, सिंचाई, लघु सिंचाई, कृषि, भूमि विकास एवं जल संसाधन, वन विभाग, लोक निर्माण, रेशम, मत्स्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(6) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार/परियोजना निदेशक, उ0प्र0।

(8) गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(विजय बहादुर वर्मा)

संयुक्त सचिव।

संलग्नक- 1

योजनाओं के पर्यवेक्षण में महिला मेट की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:-

1. योजना पर कार्य प्रारम्भ होने के प्रथम दिवस पर काम कर रहे मजदूरों को योजना का तकनीकी प्राक्कलन समझाना, प्रत्येक कार्य-दिवस के प्रारम्भ में मजदूर टोली (कार्यस्थल पर उपस्थित मजदूर अधिकतर समय अपने आप को 2-3 मजदूरों टोलियों में बाँट कर काम करते हैं) के सदस्यों की संख्या के अनुसार टोली के दैनिक कार्य का ले-आउट करना व मजदूरों को उनके काम के बारे में समझाना जैसेः- कितनी मिट्टी खोदनी है, मिट्टी कहां फेंकनी है आदि।

2. यदि कार्यस्थल पर निम्न सुविधाएं न हों, तो योजना की कार्यदायी संस्था व खण्ड विकास अधिकारी को सूचित करना:-

   1. जन सूचना बोर्ड,
   2. पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था,
   3. आवश्यकतानुसार छाया की व्यवस्था,
   4. क्रेंच की व्यवस्था (अगर छः वर्ष से कम उम्र के कम से कम पांच बच्चे कार्यस्थल पर हो,
   5. मेडिकल किट,
   6. योजना के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री।

3. यदि कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ होने के पहले दिन तक मस्टररोल न पहुंचे, तो तुरंत योजना की कार्यदायी संस्था को सूचित करना।

4. यह सुनिश्चित करना कि मस्टररोल में जिन मजदूरों के नाम हो, केवल वे ही योजना में काम करें। यदि मस्टर रोल में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा अनियमितता पाई जाती है, तो तुरंत योजना की कार्यदायी संस्था व खण्ड विकास अधिकारी को सूचित करना।

5. यदि कार्यस्थल पर कार्य करने हेतु कोई इच्छुक मजदूर (जिसका नाम मस्टररोल में न हो) काम मांगे, तो तुरंत ग्राम पंचायत को सूचित करना व मजदूर को काम मांगने की प्रक्रिया समझाना।

6. प्रत्येक कार्य दिवस को मस्टर रोल में मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करना। कार्य अवधि के दौरान मस्टर रोल कार्य स्थल पर मौजूद रखना है।

7. कार्य सप्ताह के आखिरी दिन किसी सार्वजनिक स्थल पर मजदूरों को उनकी उपस्थिति पढ़कर सुनाना और उनसे मस्टर रोल पर हस्ताक्षर लेना।

8. प्रत्येक कार्य-दिवस के अंत में मजदूरों के सामने उनके द्वारा किए गए कार्य की मापी करना व तालाब, भूमि समतलीकरण, सड़क, आदि योजनाओं के लिए "दैनिक मेट मापी प्रपत्र" भरना. (गुणवत्तापूर्ण व ससमय योजना कार्यान्वयन के लिए यह अतिआवश्यक है कि मस्टर रोल पर बनी हाजरी व किए गए कार्य की मात्रा में अंतर न हो. "दैनिक मेट मापी प्रपत्र" के प्रतिदिन भरे जाने से यह सुनिश्चित करने में बहुत मदद मिलती है.)"दैनिक मेट मापी प्रपत्र"का प्रारूप

नीचे दिया गया है:-

योजना का नाम:.....										
मस्टर रोल की अवधि:-/...../से /...../						टोली संख्या:/...../				
दिनांक	टोली के कितने सदस्य उपस्थित है।	टोली ने कुल कितना कार्य किया				एक चौके का आयाम ("लीड" व "लिफ्ट" के अनुसार चौके का आयाम बदलेगा)				टोली द्वारा खोदे गये कुल चौको की संख्या (H/D)
		लम्बाई (फीट) "A"	चैड़ाई (फीट) "B"	गहराई (फीट) "C"	कुल मात्रा (फीट) "D" (AxBXC)	लम्बाई (फीट) "E"	चैड़ाई (फीट) "F"	गहराई (फीट) "G"	कुल मात्रा (फीट) "H" (ExFxG)	
टोली द्वारा सप्ताह में कुल किया गया कामः						टोली द्वारा सप्ताह में खोदे गये कुल चौके				

9. प्रत्येक कार्य-सप्ताह के अंत में भरे हुए मस्टर रोल व "दैनिक मेट मापी प्रपत्र" को सत्यापित करना। रोजगार सेवक/पंचायत सचिव प्रत्येक कार्य सप्ताह के अंत में मेट से सत्यापित मस्टर रोल व "दैनिक मेट मापी प्रपत्र" प्राप्त करेंगे।
10. मनरेगा/उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आने वाले व्यक्तिगत कार्यो (जैसे- कैटल शेड, गोट शेड, पौल्ट्री शेड आदि) का पर्यवेक्षण कर सुनिश्चित करना कि यह परिसम्पत्तियां मनरेगा के माडल एस्टिमेट के अनुसार ही बनाई जा रही हैं।
11. मजदूरों के जॉब कार्ड में उनके द्वारा किए गए काम व उनको मिली मजदूरी का ब्यौरा दर्ज करना।

b मनरेगा योजनाओं के पर्यवेक्षण में महिला मेट की उपरोक्त जिम्मेदारियां होंगी।